

## दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

४ विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी ४  
त्रृतीय, 06 सितम्बर, 1995 / भाद्रपद 15, 1917 ईशाक ४

संख्या. 213

### सदस्य की नज़रबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित थानाध्यक्ष, संसद मार्ग,  
नई दिल्ली से दिनांक 5. 9. 95 की निम्नलिखित, बेतार सन्देश 05 सितम्बर, 95  
को प्राप्त हुआ :-

"श्री गौरी शंकर भारद्वाज, विधायक, को उनके अन्य समर्थकों सहित  
आज अर्थात् दिनांक: 5. 9. 95 को अपराह्न 1.05 बजे पुलिस थाना, संसद  
मार्ग, नई दिल्ली से पुलिस के विधिसम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण  
पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत नज़रबन्द किया गया।

उन्हें उनके अन्य समर्थकों सहित उसो दिन अर्थात् 5. 9. 95 को  
अपराह्न 1.25 बजे पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा कर दिया  
गया।"

पी. एन. गुप्ता

सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative and other matters)

Wednesday, September 6, 1995/Bhadra Pad 15, 1917(Saka)

No. 213

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following wireless message dated 5.9.1995 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly from the S.H.O., Parliament Street, New Delhi was received on 5.9.1995 :-

"Shri Gauri Shankar Bhardwaj, M.L.A. alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 at 1305 hours on 5.9.1995 for disobeying the lawfull directions of Police from Police Station, Parliament Street, New Delhi.

He alongwith his other supporters was released at 1325 hours, the same day, from Police Station, Parliament Street, New Delhi."

P.N.GUPTA  
SECRETARY